कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर

कलैक्ट्रट परिसर, 321001, ई–मेलः sjebharatpur@yahoo.com, PH: 05644-223576

क्रमांकः सान्याअवि / स्टोर / नकारा.अनु. / 2020–21 /614/

दिनांकः 10/11/2020

कार्यालय आदेश

जिला कार्यालय एवं अधीनस्थ राजकीय छात्रावासों / संस्थाओं में पडे अनुपयोगी / नकारा सामान (यथा स्टील, लोहा, लकडी, प्लास्टिक, बिस्तर सामग्री) इत्यादि जिनका पुस्तक मूल्य राशि 976017 / – (अक्षरे नौ लाख छिहत्तर हजार सत्रह रूपये मात्र) है, की वर्ष 2020–21 हेतु खुली बोली द्वारा नीलामी दिनॉक 02.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे प्रांगण राजकीय अम्बेडकर छात्रावास प्रथम, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड के पास भरतपुर में की जावेंगी एवं बोलीदाता पुस्तक मूल्य की 2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 19520 / – (अक्षरे उन्नसी हजार पॉच सौ बीस रूपये) कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कलैक्ट्रेट परिसर भरतपुर में नकद जमा कराकर बोली में भाग ले सकता है। बोलीदाता द्वारा किसी भी कार्य दिवस में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भरतपुर प्रथम में नीलामी योग्य सामग्री का अवलोकन किया जा सकता है। कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण के बचाव के कारण केवल बोलीदाता को ही कार्यालय / नीलामी स्थल पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जावेंगी, अन्य का प्रवेश निषेध होगा। बोलीदाता के अलावा अन्य को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा। बोली की शर्ते कार्यालय से निशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। उच्चतम बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

नोट :– सभी बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में बोली लगाने हेतु उपस्थित होते समय मास्क व सोशल डिस्टेन्शिंग की पालना सुनिश्चित करें एवं कोरोना महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना करें।

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
भरतपुर

क्रमांकः सान्याअवि / स्टोर / नकारा.अनु. / 2020–21 6142-51

दिनांकः 10/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, भरतपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, कोष कार्यालय भरतपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. श्रीमान निदेशक महोदय, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, कार्यालय भरतपुर / जयपुर को स्थानीय / राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ एवं बेवसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित करने का श्रम करावें।
6. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को विभागीय बेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु।
7. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सेवर / छात्रावास अधीक्षक नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. स्टोर कीपर श्री सोन्टी को प्रेषित कर लेख है कि नीलामी दिनॉक 02.12.2020 को राजकीय अम्बेडर छात्रावास भरतपुर प्रथम में बोलीदाताओं एवं नीलामी समिति की बैठक व्यवस्था 4–4 फुट की दूरी पर करावें ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचा जा सके।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक 9/11/2020
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
भरतपुर

नीलामी की शर्तें

1. जिला कार्यालय एवं अधीनस्थ राजकीय छात्रावास/संस्थाओं में पड़े अनुपयोगी/नाकारा सामान की नीलामी खुली बोली द्वारा की जानी है।
2. फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
3. बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को पुस्तक मूल्य की 2 प्रतिशत राशि 19520/ (अक्षरे उन्नसी हजार पॉच सौ बीस रूपये) प्रतिभूति राशि जीएसटी पंजीयन की प्रति सहित उप निदेशक महोदय, सान्याअवि भरतपुर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को नकद जमा कराना होगा, बिना प्रतिभूति राशि जमा कराये बिना किसी भी व्यक्ति/फर्म को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा।
4. सफल बोलीदाता को नीलामी की बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि कार्यालय/बोली स्थल पर उसी समय जमा करानी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि माल उठाने से पूर्व कार्यालय में जमा करानी होगी।
5. सफल बोलीदाता को नियमानुसार जीएसटी राशि जमा कराकर जमा करायी जीएसटी राशि की रसीद/चालान की प्रति कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही माल उठाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।
6. नीलामी के पश्चात उच्चतम बोलीदाता की प्रतिभूति राशि को रोककर शेष असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि नीलामी स्थल पर ही वापिस लौटा दी जावेगी।
7. सफल बोलीदाता को अनुपयोगी/नाकारा सामान को 02 दिवस में उठाना होगा। नीलामी तिथि के पश्चात नीलाम सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
8. सफल बोलीदाता को अनुपयोगी/नाकारा सामान को उठाने हेतु भाड़ा/किराया/मजदूरी स्वयं वहन करनी होगी।
9. किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति मे न्यायिक क्षेत्र भरतपुर होगा।
10. अनुपयोगी सामान की नीलामी/बोली के समय सामान की यदि उचित कीमत नहीं आई तो नीलामी को निरस्त अथवा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
11. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित नीलामी शर्तें भी मान्य होगी।

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
भरतपुर